कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि० अल्मोड़ा

पत्रांक 1976 / 3सी (वनभूमि) दिनांक 17/11/15

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

विषय – अल्मोड़ाघाट मोटर मार्ग के चितई पंत गिराट से हरदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण प्रस्ताव संख्या 9220/2015।

सन्दर्भ – कार्यालय वन संरक्षक उत्तरी कुमाँऊ वृत्त अल्मोड़ा का कार्यालय पत्रांक 1311/12-1 दिनांक 1-10-2015।

महोदय,
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 1870/3सी (वनभूमि) दिनांक 28-10-2015 को बिन्दुवार प्रेषित की गयी थी जो आपके ~~कार्यालय~~ द्वारा मूल में इस आशय से प्रत्यावर्तित किया गया है कि बिन्दु संख्या 2 की सूचना सहित प्रेषित करने हेतु लिखा है जो कि बिन्दु संख्या 2 में परियोजना का संक्षिप्त विवरण आपको प्रेषित किया गया है परियोजना की संक्षिप्त विवरण की छाया प्रति पुनः आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्न बिन्दु संख्या 2 की छाया प्रति

भवदीय

16-11
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

~~पत्रांक 1976/ 3सी(वनभूमि)~~

प्रतिलिपि - सहायक अभियन्ता मोडल निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

प्रा०
26/10

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा

पत्रांक 1870 / उसी (वन भूमि) दिनांक 28-10-15

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

विषय — अल्मोड़ा घार मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से स्टील पैरशाली इण्टर कालेज से आगे पेटशाल तक बैकल्पिक मार्ग का निर्माण प्रस्ताव संख्या 9220/2015।

सन्दर्भ — कार्यालय वन संरक्षक उत्तरी कुमाँयु वृत्त अल्मोड़ा का कार्यालय पत्रांक 1311/12-1 दिनांक 1-10-2015।

महोदय,
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर हार्ड कापी आपको प्रेषित की गयी थी पुनः बिन्दुवार आपत्तियों की छाया प्रति प्रेषित की जा रही है। जो निम्नवत है।

बिन्दु संख्या 1 — प्रतिवेदन तैयार कर प्रतिवेदन की छाया प्रेषित की जा रही है
बिन्दु संख्या 2 — नोट फार जस्टीफिकेशन की छाया प्रति प्रेषित की जा रही
बिन्दु संख्या 3 — बिन्दु संख्या 3 आपके विभाग से सम्बन्धित है।
बिन्दु संख्या 4 — बिन्दु संख्या 4 आपके विभाग से सम्बन्धित है।
बिन्दु संख्या 5 — बैकल्पिक समरेखण को दर्शाकर नक्शा की छायाप्रति प्रेषित की जा रही है। Map
बिन्दु संख्या 6 — F.R.A. की छाया प्रति संलग्नकर प्रेषित की जा रही है
बिन्दु संख्या 7 — C.A मैप की छाया प्रति संलग्नकर प्रेषित किया जा रहा है।
बिन्दु संख्या 8 — C.A मैप की छाया प्रति स्व पूर्ण जानकारिया भर कर प्रेषित किया जा रहा है।
बिन्दु संख्या 9 — आपके विभाग से सम्बन्धित है।
बिन्दु संख्या 10 व 11 — बिन्दु संख्या 10 व 11 आपके विभाग से सम्बन्धित है।

मूल में इस आदेश से प्रत्यावर्तित किया जा रहा है कि पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की स्पष्ट सूचना प्रेषित नहीं की गई है
कृपया पत्र का अवलोकन करें
बिन्दु संख्या 2 की सूचना सहित कार्य सूचना पुनः प्रेषित करें
मु० स०

आवक सं० 4530
12-1L25
26-10-15

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा-263601

भवदीय
(हस्ताक्षर)
20/10
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि० वि०
अल्मोड़ा

बिन्दु सं0-2

NOTE FOR JUSTI FICATION

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग। (लम्बाई 6.00 किमी0)

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग ग्राम **चितई तिवाड़ी, चितई पन्त, मन्योली, पूनाकोट तथा पेटशाल बाड़ी ग्रामों** से होकर गुजरता है जिनकी आबादी **1290** है। यह मार्ग अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 10 है0 4–6 से प्रारम्भ होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलाएं पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिये दूर जाती है। मार्ग निर्माण के पश्चात् उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वें अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन–पालन तथा पठन–पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूर हो पाएगी। गांव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के और नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्तपादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पाएंगे साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह समरेखन सिविल भूमि (राज्य भूमि) तथा नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। समरेखन के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नही पड़ता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी है तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर ली गई है। मार्ग के निर्माण में **1.99** है0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि **0.270** है0, आरक्षित भूमि **0.170** है0 भूमि (कुल 2.43 है0 भूमि) तथा नाप भूमि **2.96125 है0** प्रभावित होती है उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम समरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन 1:– इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 10 है0 4–6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी0 भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 13 हेमी0 4–6 नौले के पास समाप्त होता है। मार्ग की लम्बाई 7.700 किमी0 आती है, परन्तु इस 2.00 किमी0 का समरेखन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा का पत्रांक–1076/769सी0 दि0 5.05.2003 द्वारा स्वीकृत है एवं वन भूमि भी स्वीकृत है। इस पूरे समरेखन में 04नं0 15मी0 स्पान, 01नं0 6मी0 स्पान, 01नं0 8मी0 स्पान तथा 01नं0 12मी0 स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 6 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। इस संमरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

समरेखन 2:– इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 10 है0 4–6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी0 भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के किमी0 13 हेमी0 4–6 नौले के पास समाप्त होता है। इस पूरे समरेखन में 03नं0 15मी0 स्पान, 01नं0 6मी0 स्पान, तथा 01नं0 12मी0 स्पान के पुल बनाने पड़ेगे तथा मार्ग में 10 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है तथा समरेखन की लम्बाई अधिक है। इस संमरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0 2 को निरस्त कर समरेखण 01 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 2.43 है0 भूमि प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी0 तथा चौड़ाई 9.00 मीटर में ली गई हैं। उक्त भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रस्तावित सिविल भूमि (राज्य भूमि) का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
नि.ख.लो.नि.वि	नि.ख.लो.नि.वि	नि.ख.लो.नि.वि
अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा